कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 131 /14-1 दिनांक, कानपुर, जुलाई, 04 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ

बिषय– जनपद फर्रूखाबाद–फतेहगढ़–गुरसहायगंज रोड (एस0एच0–29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8. 053) बांयी पटरी पर खसरा सं0–634 मि0 ग्राम–भूलनपुर चिरपुरा, परगना–भोजपुर, तहसील–सदर, जिला–फर्रूखाबाद पर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपकी पत्र संख्या–1852/11–सी–FP/UP/OTHERS/32858 दिनांक–28.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद में अपने पत्रांक–2803/14–1 दि0–28.06.2019 द्वारा प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में भरकर एवं संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियां मय सी0डी0 सहित मूल में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है। किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर नही किया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कराते हुये संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र को प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 08 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, जोकि अपूर्ण है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग–2 कमांक 13 (i) में संशोधित धनराशि एवं कमांक 13 (ii) में संशोधित प्राक्कलन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 08 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक का विस्तृत प्राक्कलन पूर्ण कराकर एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 कमांक 13 (i) में संशोधित धनराशि एवं कमांक 13 (ii) में संशोधित प्राक्कलन अपलोड करा दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नही है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1,50000 माप की टोपोशीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नही है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1,50000 माप की टोपोसीट ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1,50000 माप की टोपोशीट संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दी गयी है।
5	प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये गये जाने वाली भूमि की खतौनी एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एर्टोनी प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	रिटेल आउटलेट स्थापित किये गये जाने वाली भूमि की खतौनी एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एर्टोनी प्रसताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दी गयी है।

6	वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नही है, किन्तु प्रमाण पत्र में **Linear** अंकित है जबकि प्रकरण **Non Linear** है। अतः संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र सही कर दिया गया है।
7	हार्डकॉपी भाग–2 में हरियाली घनत्व अंकित नही किया गया है। अतः हरियाली घनत्व भाग–2 में अंकित करें।	हार्डकॉपी भाग–2 में हरियाली घनत्व अंकित कर दिया गया है।
8	ऑनलाइन भाग–2 में 922 पेड़ अपलोड किये गये है। किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक बताये गये है। अतः इस अन्तर को स्पष्ट करते हुये वास्तविक वृक्षों की संख्या ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 05 वृक्ष बाधक पाये गये है। जिनको ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड किया गया है।
9	हार्डकॉपी भाग–2 कमांक–7 (7) में बाधक वृक्षों की कोई सूचना अंकित नही की गयी है। अतः बाधक वृक्षों की सही सूचना अंकित करें।	हार्डकॉपी भाग–2 कमांक–7 (7) में बाधक वृक्षों की सूचना अंकित कर दी गयी है।
10	हार्डकॉपी भाग–2 कमांक–10(1) से 10(5) में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा अंकित नही किया गया है। अतः प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का सही ब्योरा अंकित करें।	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा अंकित कर दिया गया है।
11	ऑनलाइन भाग–2 के डिस्ट्रिक प्रोफाईल में जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही भौगोलिक क्षेत्रफल अंकित करें।	ऑनलाइन भाग–2 के डिस्ट्रिक प्रोफाईल में जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सही अंकित किया गया है।

संलग्नक–(प्रस्ताव की 03 प्रतियां मूल में मय सी0डी0 सहित)

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्याः 131 **/अ** **समदिनांकित**

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद को उनके पत्रांक–2803/14–1 दिनांक–28.06.2019 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर